मेट के कर्तव्य और दायित्व

1. सामान्य

प्रत्येक गैंग मेट हर स्थिति में ट्रैक के रखखाव और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनें और साफ सुथरा रहें, उसे तेज़, सभ्य और विनम्र होना चाहिए। वे अपने संबंधित उच्च अधिकारियों के निर्देशों का पालन करेंगे।

2. नियमों और संकेतों का ज्ञान

प्रत्येक गैंग मेट हाथ संकेतों और पटाखों की सही जानकारी रखेगा और निम्नलिखित नियमों से परिचित रहेगा:-

ए) हाथ के संकेत
(विवरण के लिए अनुलग्नक-ए देखें)

बी) डेटोनेटर संकेत नियम
(विवरण के लिए अनुलग्नक-बी देखें)

3. सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्य

ए) प्रत्येक रेल सेवक यह सुनिश्चित करेगा कि -

I. जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए।

II. उसके संज्ञान में आने वाली किसी भी घटना जो रेलवे के सुरक्षित या उचित कामकाज को प्रभावित करे उसके बारे में तुरंत अपने वरिष्ठ को रिपोर्ट करें, और मांग पर दुर्घटना या रुकावट के मामले में हर संभव सहायता प्रदान करना।

बी) प्रत्येक रेल सेवक, यदि देखता है कि -

I. किसी भी तरह की बाधा, रास्ते या कार्य के किसी भी हिस्से की विफलता या विफलता का खतरा,

II. ट्रेन के साथ कुछ भी गलत, या ट्रेन के सुरक्षित चलने, या जनता की सुरक्षा में किसी भी तरह की असामान्य परिस्थितियों के हस्तक्षेप की संभावना है,

III. दुर्घटना की रोकथाम के लिए, मामले की परिस्थितियों की मांग के अनुरूप जहां आवश्यक हो, तत्काल कदम उठायेगा और, निकटतम स्टेशन मास्टर को त्वरित संभव साधन से सूचित करेगा।

IV. ट्रेन के विभाजित हो जाने की स्थिति में, वह स्टॉप हैंड सिग्नल नहीं दिखाएगा, लेकिन लोको पायलट या गार्ड को चिल्लाकर, इशारा करके या अन्य साधन द्वारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करेगा।

V. कोई भी रेल सेवक जो चलती ट्रेन में हॉट एक्सल देखता है, वह ट्रेन को रोकने के लिए अपने अधिकार में सब कुछ करने के लिए बाध्य है और वह खतरे का संकेत देकर ट्रेन कर्मचारियों को सचेत करेगा।

सी) तोड़फोड़ की आशंका होने पर की जानेवाली कार्यवाही और आपातस्थिति में गश्त लगाना

I. जैसे ही वह ट्रैक, पुलों या अन्य स्थायी संपत्ति की किसी भी तोड़फोड़ या संभावित तोड़फोड़, बम विस्फोट धमाका इत्यादि का संज्ञान करता है, तुरंत वह ट्रैक की रक्षा करेगा और निकटतम स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा।

II. निर्देश के अनुसार वह किसी भी आपातस्थिति में प्रभावित लंबाई पर गश्त करेगा।

4. गैंग मेट के महत्वपूर्ण कर्तव्य

ए) लाइन की सुरक्षा

प्रत्येक गैंग मेट यह देखेगा कि ट्रेनों केगुजरने के लिए लाइन को सुरक्षित रखा गया है। जेई/एसएसई/पीवे के आदेशों की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल मरम्मत करने की आवश्यकता वाले सभी स्थानों पर मरम्मत की जाएगी।

बी) ट्रैक मेंटेनर का ज्ञान

गैंग मेट यह सुनिश्चित करेगा कि ट्रैक पर तैनात करने से पहले प्रत्येक ट्रैक मेंटेनर को सुरक्षा नियमों का ज्ञान हो। गैंग मेट यह सुनिश्चित करेगा कि गैंग को आपूर्ति किए गए सुरक्षा उपकरण और सिग्नल अच्छी हालत में रखे गए हैं और उपयोग के लिए तैयार हैं और गैंग के प्रत्येक व्यक्ति को इन सभी सुरक्षा उपकरणों और सिग्नलों की सही जानकारी है।

सी) कार्य स्थल पर उपकरण

गैंग मेट यह सुनिश्चित करेगा कि गैंग के साथ निर्धारित सभी आवश्यक औज़ार और उपकरण कार्य स्थल पर ट्रैक मेंटेनर के पास हैं।

डी) पेट्रोलमेन और चौकीदारों को उपकरणों की आपूर्ति

गैंग मेट यह देखने के लिए जिम्मेदार होगा कि पैट्रोलमैन और स्थिर चौकीदार के पास निर्दिष्ट सही उपकरण हैं।

ई) मस्टर और गैंग चार्ट/डायरी पुस्तकें

I. प्रत्येक गैंग मेट के पास मस्टर और गैंग चार्ट/डायरी होनी चाहिए। गैंग चार्ट को इस उद्देश्य के लिए दिए गए कंटेनर में सावधानी से रखा जाना चाहिए।

II. मस्टर को सामान्य रूप से गैंग मेट द्वारा चिह्नित किया जाना चाहिए। हालांकि, साक्षर

ट्रैक मेंटेनर को मस्टर पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जा सकती है, जिसे गैंग मेट द्वारा जांचा जाना चाहिए।

III. गैंग मेट यह देखेगा कि ट्रैक रखरखाव की निर्धारित प्रणाली का पालन किया जाता है और मौखिक निर्देशों या उसके गैंग चार्ट / डायरी में की गयी प्रविष्टियों के अनुसार और उसे समझाये गये अनुसार आवंटित कार्यों को कुशलतापूर्वक किया जाता है, जिसमें रेल जोड़ों के स्नेहन, खराब स्थानों की मरम्मत और अलग-अलग जगह पर स्लीपरों को बदली करना सहित, यदि गैंग डायरी में किए गए कार्यों का विवरण दर्ज करने में सक्षम हैं, तो गैंग मेट को ऐसा करना चाहिए।

एफ) ट्रेन के गुजरने के दौरान स्लीपर पैकिंग का अवलोकन

काम के घंटों में पहली और आखिरी ट्रेनों के गुजरने के दौरान, गैंग मेट और ट्रैक मेंटेनर को सैस पर लगभग प्रत्येक रेल की लंबाई एक-एक करके खड़े होना चाहिए और स्लीपरों पर प्रभाव का निरीक्षण करना चाहिए। फिर ढीले स्लीपरों को चिह्नित किया जाना चाहिए और पर्याप्त रूप से पैक किया जाना चाहिए। डबल लाइन पर, गैंग हमेशा सैस की तरफ खड़ी होनी चाहिये न कि रेलपथ के बीच में।

जी) दृश्य बाधित होने पर सावधानियां

ऐसी जगह पर काम करते समय जहां से आने वाली ट्रेन दिखाई नहीं दे रही हो, गैंग मेट द्वारा कम से कम 600 मीटर की दूरी पर हैंड सिगनल के साथ ट्रैक मेंटेनर भेजा जाना चाहिए।

I. आने वाली ट्रेनों की दिशा में डबल लाइन पर,

II. सिंगल लाइन पर जिस दिशा में दृश्य बाधित है (दोनों दिशाओं में यदि दृश्य दोनों तरफ बाधित है)।

III. ऐसे झंडीवाले का यह कर्तव्य होगा कि जब कोई ट्रेन आ रही हो तो सिग्नल के माध्यम से गैंग मेट को चेतावनी दें।

IV. गैंग मेट उचित समय में गैंग को चेतावनी देने के लिए जिम्मेदार होगा ताकि वे ट्रैक से हट सकें। अतिरिक्त सावधानी के रूप में, गैंग साथियों को इंगित करने के लिए पोर्टेबल सीटी बोर्ड जारी करना उचित समझा जा सकता है, जो उन्हें कार्य-स्थल से कम से कम 600 मीटर की दूरी पर उस दिशा में लगाना चाहिए, जिस दिशा में दृश्य इससे कम पर बाधित होता है।

एच) सेक्शन की सफाई

गैंग मेट यह देखेगा कि गैंग की पूरी लंबाई को साफ सुथरा रखा गया है और सभी अव्यवस्थित सामग्री को एकत्र करके स्टेशनों, गैंग के क्वार्टर या गेट लॉज में लाया गया है।

आई) औजारों की सुरक्षित हिरासत

गैंग मेट स्वयं, कीमेन और सभी ट्रैक मेंटेनर द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजारों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। गैंग मेट को यह देखना चाहिए कि काम पर लगे ट्रैक मेंटेनर ट्रेन के आने पर अपने औजारों को ट्रैक से हटा दें। गैंग मेट यह सुनिश्चित करेगा कि सभी उपकरण काम के घंटों के बाद टूल बॉक्स में जमा हो जाएं और लॉक हो जाएं। किसी भी स्थिति में ट्रैक मेंटेनर्स को उपकरण घर ले जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ट्रैक मेंटेनर मध्याह्न भोजन के लिए ब्रेक करें उससे पहले गैंग मेट को यह देखना चाहिए कि औज़ार ट्रैक से दूर रखे गए हैं।

जे) कार्रवाई जब लाइन असुरक्षित हो या दुर्घटना की स्थिति में

I. यदि एक गैंग मेट या उसके कीमैन को लगता है कि लाइन के असुरक्षित होने की संभावना है, या स्थायी रास्ते या काम में किसी खराबी के कारण, या असामान्य बारिश या बाढ़ के कारण, या किसी अन्य घटना के लिए किसी ट्रेन के खतरे में पड़ने की संभावना है, गैंग मेट, अनुलग्नक- सी में वर्णित "सावधानी के साथ आगे बढ़ें" या "रोकें" के लिए निर्धारित संकेतों का उपयोग करके ट्रेनों की सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए तत्काल कदम उठाएगा, और जितनी जल्दी हो सके, निकटतम स्टेशन मास्टर और जेई / एसएसई / पीवे को परिस्थितियों की रिपोर्ट करेगा।

II. दुर्घटना की स्थिति में, गैंग मेट, कीमेन और ट्रैक मेंटेनर्स को वैगनों और ट्रैक घटकों की टूटी फिटिंग की तलाश करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि ये तब तक डिस्टर्ब नहीं किए जाएं जब तक कि इन्हें एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा देखा और रिकॉर्ड नहीं किया जाता है।

के) मौसम की चेतावनी और की जाने वाली कार्रवाई

स्टेशन मास्टर से सलाह मिलने पर गैंग मेट को निम्नलिखित कार्रवाई करनी चाहिए:-

I. साफ मौसम के दौरान, स्टेशन यार्ड के गैंग मेट को दो विश्वसनीय ट्रैक मेंटेनर को पेट्रोलमैन के उपकरण के साथ दोनों तरफ ब्लॉक सेक्शन में गश्त के लिए और मध्यवर्ती गैंगमेटों को सतर्क करने के लिए नियुक्त करना चाहिए।

II. मानसून की अवधि के दौरान भी, स्टेशन यार्ड के गैंग मेट को दो ट्रैक मेंटेनर को विपरीत दिशाओं में भेजना चाहिए ताकि मध्यवर्ती गैंगमेट्स, पेट्रोलमैन और वॉचमेन

को सतर्क किया जा सके।

III. यदि मानसून या साफ मौसम में बहुत भारी बारिश या भयंकर तूफान का मौसम हो, तो सभी गैंगों के गैंग मेट और ट्रैक मेंटेनर को अपनी पहल पर दिन के साथ-साथ रात में भी मानसून की पेट्रोलिंग शुरू करनी चाहिए। खराब मौसम की चेतावनी मिलने पर चेतावनी की अवधि और 48 घंटे बाद तक पेट्रोलिंग करने के लिए इसी तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए।

एल) असामान्य वर्षा या तूफान के दौरान गैंग पेट्रोलिंग

असामान्य वर्षा या तूफान के दौरान, गैंग मेट को, अपनी पहल पर, गैंग-लेंथ पर की जा रही अन्य गश्त, यदि कोई हो, से स्वतंत्र रूप से गश्त का आयोजन करना चाहिए, चाहे पेट्रोलमैन ड्यूटी पर हों या नहीं। क्षति का पता चलने की स्थिति में, अनुलग्नक-सी में वर्णित "आपातस्थिति में अस्थायी सिग्नल" के अनुसार लाइन की सुरक्षा करके यातायात की सुरक्षा के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए।

एम) ट्रेनों की सुरक्षा को प्रभावित करने वाला काम शुरू करना

कोई भी कार्य, जिसमें ट्रेनों के लिए खतरा हो सकता है, गैंग मेट द्वारा कार्य शुरू नहीं किया जाना चाहिए, सिवाय जेई/एसएसई/पी.वे की व्यक्तिगत देखरेख में, विशेष निर्देशों द्वारा अधिकृत एक सक्षम रेलवे कर्मचारी, जब तक कि यह कोई आपातस्थिति न हो जहां सुरक्षा की आवश्यकताएं काम की शुरुआत की जरूरत हो। ऐसे मामलों में गैंग मेट यह सुनिश्चित करेगा कि इंजीनियरिंग सिग्नल नियमों के अनुसार निर्दिष्ट दूरी पर प्रदर्शित किए गए हैं और काम शुरू करने से पहले झंडीवाले को आवश्यक उपकरण के साथ तैनात किया गया है।

एन) गैंग मेट द्वारा गैंग की लंबाई का साप्ताहिक निरीक्षण

गैंग मेट सप्ताह में एक बार पूरे गैंगलेंथ का निरीक्षण करेगा। उस दिन गैंग मेट कीमैन के कर्तव्यों का पालन करेगा और कीमैन गैंग का प्रभारी बना रहेगा।

ओ) ट्रेसपास और पी.वे फिटिंग की चोरी को रोकना

प्रत्येक गैंग मेट और ट्रैक मेंटेनर रेलवे की सीमा में व्यक्तियों या मवेशियों द्वारा गैंगलेंथ में लाइन पर ट्रेसपास को रोकने का प्रयास करेंगे, और अतिक्रमण या अनधिकृत संरचनाओं के किसी भी प्रयास की सूचना मिलने पर रिपोर्ट करेंगे। गैंग के साथ गैंग मेट को पी.वे फिटिंग की चोरी को रोकने का भी प्रयास करना चाहिए और चोरी के किसी भी प्रयास की सूचना जेई/एसएसई/पीवे को देनी चाहिए।

पी) आपातस्थिति में राहत व्यवस्था

जब बीमारी के कारण गेटमैन, पेट्रोलमैन और वॉचमैन अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हों, तब गैंग मेट इनके कार्यमुक्ति के लिए तत्काल व्यवस्था करेगा।

क्यू) ट्रेनों की सुरक्षा में सहायता

स्टेशनों के बीच दुर्घटना की स्थिति में गैंग मेट और ट्रैक मेंटेनर को ट्रेनों की सुरक्षा के लिए ट्रेनों के गार्ड और ड्राइवरों को सहायता प्रदान करनी चाहिए, जब ऐसा करने के लिए कहा जाता है।

आर) रेल फ्रैक्चर / वेल्ड फ़ेल्युर के मामले में की जाने वाली कार्रवाई

I. यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी रेल/वेल्डेड जोड़ का फ्रैक्चर देखा जाता है, तो कम से कम संभव देरी के साथ, यदि आवश्यक हो तो प्रतिबंधित गति के साथ ट्रैक को बहाल करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाये।

II. मेट/कीमैन/ट्रैक मेंटेनर , जैसे ही वह रेल फ्रैक्चर/वेल्ड फ़ेल्युर को नोटिस करता है, उसे पहले ट्रैक की रक्षा करनी चाहिए। उसे जेई/एसएसई (पी.वे) और नजदीकी स्टेशन के स्टेशन मास्टर को भी सूचना भेजनी चाहिए।

III. यदि फ्रैक्चर 30 मिमी से कम गैप के साथ है, तो फ्रैक्चर रेल सिरों को फिश प्लेट और क्लैम्प के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

IV. जब फ्रैक्चर गैप 30 मिमी से अधिक हो, तो उचित लंबाई के एक क्लोजर का उपयोग किया जाना चाहिए, और फिशप्लेट को क्लैंप के साथ बांधना चाहिए।

V. ऐसे मामलों में जहां रेल का एक छोटा हिस्सा या टुकड़ा निकल गया हो या कई फ्रैक्चर के मामले में, यातायात की अनुमति देने से पहले रेल को बदलना होगा।

VI. वेल्ड की विफलता के मामले में, जॉगल फिशप्लेट और क्लैम्प का उपयोग किया जाना चाहिए।

VII. आपातकालीन मरम्मत करने के बाद, ट्रेनों को एक मेट/कीमैन द्वारा पहली ट्रेन स्टॉप डेड और 10 किमी प्रति घंटे के साथ आगे बढ़ने की गति, बाद की ट्रेनें को 20 किमी प्रति घंटे की गति से पास किया जा सकता है, जब तक कि परमानेंट वे आधिकारिक द्वारा रेल बदला नहीं जाती। पेट्रोलमेन (रेलवे

कर्मचारी) के रूप में नियुक्त ट्रैक मेंटेनर भी रेल/वेल्ड विफलता का पता लगाने के बाद और आपातकालीन मरम्मत करने के बाद, यदि वह ट्रेन को पार करने के लिए आश्वस्त महसूस करता है, तो ट्रैक की सुरक्षा के दौरान उसके द्वारा रोकी गई केवल पहली ट्रेन को पास भी कर सकता है।

एस) एलडब्ल्यूआर ट्रैक में गैंग मेट की जिम्मेदारियाँ

एलडब्ल्यूआर अनुभागों में गैंग मेट के विशिष्ट कर्तव्य और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:-

I. यदि एलडब्ल्यूआर/ सीडब्ल्यूआर अनुभाग पर काम करने के लिए क्षेत्रीय/मंडल प्रशिक्षण केंद्र द्वारा जारी वैध योग्यता प्रमाण पत्र उपलब्ध है, तो व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के तहत रखरखाव कार्य करना है।

II. ट्रैक रखरखाव के केवल उन कार्यों को करें, जिनके लिए गैंग मेट अधिकृत है।

III. जारी किए गए अतिरिक्त/विशेष उपकरणों को अच्छी स्थिति में बनाए रखने के लिए और यदि किसी दोषपूर्ण उपकरण की मरम्मत की आवश्यकता है, तो उसे जेई/एसएसई/पी.वे के ध्यान में लाएँ।

IV. पर्यवेक्षकों द्वारा निर्देश दिए जाने पर गर्म / ठंडे मौसम में पेट्रोलिंग शुरू करना और यह सुनिश्चित करना कि गर्म/ठंडे मौसम में पेट्रोलमैन निर्दिष्ट गश्त अवधि के दौरान ड्यूटी पर निकलें और पेट्रोलिंग कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करें।

V. गर्म मौसम के दौरान सतर्क रहने के लिए और यदि तापमान टी$_{वी}$+20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है, तो गश्त का आदेश दे और पर्यवेक्षकों को एलडब्ल्यूआर/ सीडब्ल्यूआर पर होने वाली किसी भी असामान्य घटना की रिपोर्ट करें।

VI. रेल/वेल्ड फ्रैक्चर के मामले में ट्रैक की सुरक्षा के लिए त्वरित कार्रवाई करना और तत्काल यातायात की बहाली की अनुमति देने के लिए आपातकालीन मरम्मत करना और निकटतम स्टेशन मास्टर/एसएसई/जेई/पीवे को रिपोर्ट करना।

VII. ट्रेनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए, यदि वे समझते हैं कि ट्रैक असुरक्षित होने की संभावना है।

VIII. किसी भी तरह की गिट्टी की कमी या ट्रैक की गड़बड़ी की सूचना जेई/एसएसई/पीवे को देना।

IX. अपने अधिकार क्षेत्र के तहत एसईजे और एलडब्ल्यूआर/सीडब्ल्यूआर का बार-बार निरीक्षण करना, विशेष रूप से गर्मियों में दोपहर के सबसे गर्म समय के दौरान और एलडब्ल्यूआर/ सीडब्ल्यूआर पर किसी भी असामान्य घटना की सूचना जेई/एसएसई/पीवे को आगे का आदेश प्राप्त करने के लिए दें।

X. गैंग मेट प्लेन ट्रैक, टर्न-आउट, एसईजे, ग्लूड जोइंट, पुलों आदि पर लापता फिटिंग और फास्टनिंग के विवरण को नोट करेगा और उनकी जल्द से जल्द पूर्ति करेगा। वह ट्रैक में चटके/टूटे/खांचे पड़े हुए स्लीपरों के विवरण को भी नोट करेगा और जेई/एसएसई/पीवे को इसकी सूचना देगा।

XI. गर्मी और गर्मी के दिनों में गैंग मेट सतर्क रहें।

XII. गर्मी शुरू होने से पहले गिट्टी की पुनःपूर्ति का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। अलग-अलग स्थानों पर शोल्डर में गिट्टी की कमी को गैंग मेट द्वारा दो रेलों के बीच से ट्रैक के केंद्र से 600 मिमी से अधिक की चौड़ाई न हो और 100 मिमी से अधिक की गहराई न हो, न्यूनतम मात्रा में गिट्टी निकालकर पूरा किया जाएगा।

XIII. रेल को उठाने की आवश्यकता वाले फास्टनिंग्स का नवीनीकरण

जिन फास्टनिंग्स को बदलने के लिए रेलों को उठाने की आवश्यकता होती है, अर्थात, ग्रूव्ड रबर पैड, आदि इनको एक समय में एक से अधिक स्लीपर पर नवीनीकृत नहीं किया जाना चाहिए। यदि एक समय में एक से अधिक स्लीपरों के बन्धन का नवीनीकरण करना आवश्यक हो, तो बीच में कम से कम 30 स्लीपरों को अछूता रखा जाएगा। गैंग मेट की देखरेख में काम होगा।

XIV. बकलिंग के खतरे की सूचना मिलने पर

(1) गैंग मेट को सभी उपलब्ध कर्मियों/संसाधनों के साथ तुरंत साइट पर जाना चाहिए और साइट पर प्रभावित हिस्से की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

(2) तत्पश्चात गैंग मेट को इस संदिग्ध क्षेत्र के दोनों ओर 100 मीटर ट्रैक की स्थिति का निरीक्षण करना चाहिए और अतिरिक्त गिट्टी, यदि उपलब्ध हो, को शोल्डर पर और रेल हेड तक ढेर करना शुरू करना चाहिए और उपलब्ध उपकरण के साथ गिट्टी को दबाना जारी रखना चाहिए।

(3) ट्रैक को खिसकाने या संरेखित करने या मौजूदा गिट्टी सेक्शन को बाधित करने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। गैंग मेट को जेई/एसएसई/पीवे के आने तक साइट पर बने रहना चाहिए।

(4) इन आधिकारिक व्यक्तियों में से एक के द्वारा आशंका/वास्तविक बकलिंग के स्थान पर रेल तापमान भी नोट किया जाएगा। रेल के तापमान को कम करने के लिए सूर्य के सामने वाली रेल को बाहर की तरफ गिट्टी या पत्तों आदि से रेल-हेड के स्तर तक ढक दिया जाएगा।

XV.पर्यवेक्षण का अधिकृत स्तर

(1) मैनुअल पैकिंग, संरेखण।

(2) सिंगल आइसोलेटेड स्लीपर की पैकिंग या नवीनीकरण जिसके लिए ट्रैक को उठाने या खिसकाने की आवश्यकता नहीं होती है।

(3) उठाने की आवश्यकता वाले फास्टनिंग्स का नवीनीकरण/पुनर्पूर्ति।

(4) अलग-अलग स्थानों पर शोल्डर में गिट्टी की कमी को पूरा करना।

(5) मैन्युअल रूप से या मशीनों द्वारा रखरखाव कार्य पूरा होने के बाद, तापमान टी$_{डी}$+20 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर गति प्रतिबंध लगाना।

(6) यह सुनिश्चित करना कि गश्त की आवश्यक अवधि के दौरान और अन्य अवधियों के दौरान जब रेल का तापमान टी$_{डी}$+20 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, गर्म मौसम में गश्त करने वाला तुरंत ड्यूटी के लिए निकल जाए।

अनुलग्नक-ए

हाथ संकेत नियम

सभी हाथ संकेतों को दिन के समय एक झंडी दिखाकर प्रदर्शित किया जाएगा।

I. हाथ के संकेतों को दिखाना :-

(1) हाथ के सभी संकेतों को दिन में झंडी या हाथ दिखाकर और रात में इन नियमों के अनुसार रोशनी दिखाकर प्रदर्शित किया जाएगा।

(2) दिन के दौरान एक झंडी या झंडीयों को सामान्य रूप से हाथ के संकेतों के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। हाथों का प्रयोग आपातस्थिति में तभी किया जाना चाहिए जब झंडी उपलब्ध न हों।

(3) रात के दौरान सामान्य रूप से एक लाल या हरी बत्ती दिखाकर एक हाथ का संकेत दिया जाएगा। तेज़ी से लहराई गई सफेद रोशनी को स्टॉप सिग्नल के रूप में तभी इस्तेमाल किया जाएगा जब लाल बत्ती उपलब्ध न हो।

(4) लाल या हरी बत्ती या तो स्थिर या चमकती प्रकार की होगी।

II. स्टॉप हैंड सिग्नल

(1) इंगित : पूर्ण विराम

(2) दिन के समय कैसे दिया जाता है:

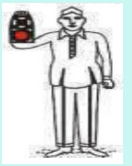
लाल झंडी दिखाकर या हाथों के साथ दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर उठाकर, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है;





(3) रात के समय कैसे दिया जाता है :

लाल बत्ती दिखाकर या संकेत दिखाने वाले व्यक्ति के शरीर पर क्षैतिज रूप से सफेद बत्ती तेज़ी से लहराते हुए, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है।





III. आगे बढ़ने के लिए हैंड सिग्नल

(1) इंगित: आगे बढ़ो

(2) दिन के समय कैसे दिया जाता है:

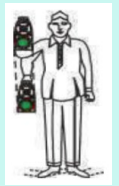
हरी झंडी को पकड़कर या एक हाथ को स्थिर रूप से रखकर जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है;





(3) रात के समय कैसे दिया जाता है :

एक हरी बत्ती को स्थिर रूप से पकड़ कर, जैसा कि चित्र दिखाया गया है:-



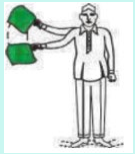
IV. सावधानी से आगे बढ़ने के लिए हैंड सिग्नल

(1) इंगित: यदि सिग्नल उत्तरोत्तर धीमी गति से दिया जाता है तो गति को धीरे-धीरे कम करते हुए आगे बढ़ें।

(2) दिन के समय कैसे दिया जाता है :

हरे रंग की झंडी लंबवत ऊपर और नीचे

लहराते हुए या एक हाथ को उसी तरह लहराते हुए जैसा कि चित्र से स्पष्ट है;





(3) रात के समय कैसे दिया जाता है:



हरे रंग की बत्ती को लंबवत ऊपर और नीचे लहराते हुए जैसा कि चित्र से स्पष्ट है:-

V. बैनर फ्लैग

एक बैनर फ्लैग एक अस्थायी स्थिर किया हुआ खतरे का संकेत है, जिसमें शामिल हैं ऐंक लाल कपड़ा जो प्रत्येक सिरे पर एक पोस्ट पर लगा हुआ और जिस लाइन को यह संदर्भित करता है उसके आरपार फैला हुआ रहता है।



VI. हाथ के संकेतों का ज्ञान और अधिकार

(1) ट्रेनों की आवाजाही, शंटिंग संचालन, अधिष्ठापन के रखरखाव और ट्रेनों की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रकार के कार्यों से जुड़े प्रत्येक रेल कर्मचारी को निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करना होगी:-

i. हाथ के संकेतों का सही ज्ञान; तथा

ii. ड्यूटी के दौरान अपने साथ अपेक्षित हाथ संकेत रखें और उन्हें अच्छे हालत में और तत्काल उपयोग के लिए तैयार रखें।

(2) प्रत्येक रेल सेवक यह देखेगा कि हाथ संकेत के उपयोग से संबंधित उसके अधीन कर्मचारियों को हाथ संकेत के लिए सभी आवश्यक उपकरण पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराए गए हैं और उन्हें उनके उपयोग की सही जानकारी है।

(3) एक लाल झंडी और एक हरी झंडी दिन में या बत्ती, जो रात में लाल, हरी और सफेद रोशनी दिखाने में सक्षम है, हाथ से संकेत देने के लिए आवश्यक उपकरण जमा करेगा।

(4) प्रत्येक मेट यह देखेगा कि उसकी इकाई में हाथ संकेत के लिए सभी आवश्यक उपकरण पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं।

अनुलग्नक-बी

डेटोनेटर संकेत नियम

I. विस्फोट संकेतों का विवरण

पटाखा संकेत, वह उपकरण है जो रेल पर फिक्स किए जाते हैं और जब एक इंजन, एक वाहन उनके ऊपर से गुजरता है, तो वे एक जोरदार विस्फोट के साथ फट जाते हैं ताकि लोको पायलट का ध्यान आकर्षित किया जा सके।

II. डेटोनेटर का उपयोग

(1) डेटोनेटरों के कब्जे वाले कर्मचारी उनका कोई अनुचित उपयोग नहीं करेंगे।

(2) डेटोनेटर का जीवन:-

डेटोनेटर का सामान्य जीवन पांच साल का होता है।

(3) डेटोनेटर को उपयोग करने की विधि:-

i. उपयोग करने के लिए आवश्यक एक डेटोनेटर पर लगे लेबल या ब्रांड को को ऊपर की तरफ रखा जाएगा और रेल के सिर के चारों ओर क्लैप्स (पकड़) को झुकाकर रेल पर फिक्स किया जाएगा।

ii. पटाखों को रेल ज्वाइंट व स्लीपर स्पेसिंग में ना लगाया जाय, बल्कि रेल पर वहाँ रखा जाय जहाँ नीचे स्लीपर हो।



(4) अवरोध की स्थिति में डेटोनेटर लगाना

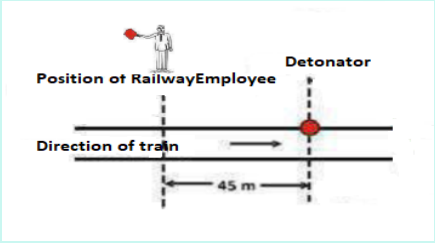
i. जब भी किसी लाइन में रुकावट के परिणाम स्वरूप, रेल सेवक को गाड़ियों को रोकना आवश्यक होता है, तो वह आगे बढ़कर अपने स्टॉप हैंड सिग्नल को दिखाते हुए, रुकावट से 600 मीटर की दूरी पर लाइन पर एक डेटोनेटर और फिर रुकावट की जगह से 1200 मीटर की दूरी पर आगे बढ़े और लाइन पर तीन डेटोनेटर एक दूसरे से लगभग 10 मोटर की दूरी पर लगाये।

ii. यदि बाधा दूर होने से पहले उक्त रेल सेवक को वापस बुला लिया जाता है, तो वह तीन डेटोनेटर छोड़ देगा और वापस आने पर, मध्यवर्ती डेटोनेटर को उठा लाएगा।

(5) डेटोनेटर से सुरक्षा दूरी

जब एक रेल सेवक ने एक या एक से अधिक डेटोनेटरों को लाइन पर रखा है तो इससे पहले कि जब एक रेल सेवक ने एक या एक से अधिक

डेटोनेटरों को लाइन पर रखा है तो इससे पहले कि एक समीप आने वाले इंजन या ट्रेन द्वारा विस्फोट हो उसे डेटोनेटर या पटाखों से 45 मीटर की सुरक्षा दूरी से दूर अवश्य हट जाना चाहिए।



अनुलग्नक-सी

I. लघु अवधि के कार्य

(1) ब्लॉक सेक्शन में सुरक्षा और ट्रेनों के गुजरने की प्रक्रिया

इस श्रेणी के किसी भी काम को शुरू करने से पहले जेई/एसएसई/पीवे या अधिकृत रेल सेवक को ब्लॉक सेक्शन के प्रत्येक सिरे पर स्टेशन मास्टर/ब्लॉक-हट प्रभारी को नोटिस जारी करना चाहिए और उनकी पावती प्राप्त करें। इस बात पर निर्भर करते हुए कि क्या ट्रेन को रुकने के बाद या प्रतिबंधित गति से कार्य स्थल से गुजरना है, लाइन को निम्नलिखित तरीके से सुरक्षित किया जाना चाहिए :-

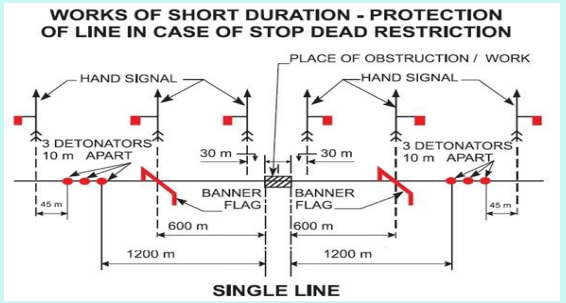
i. जब ट्रेन को कार्य स्थल पर रुकना आवश्यक हो (ब्लॉक सेक्शन में)

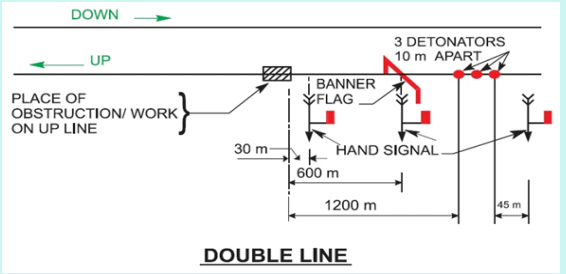
(a) स्टॉप हैंड सिग्नल दिखाने के लिए बाधा वाले स्थान के पीछे 30 मीटर की दूरी पर हाथ के संकेतों के साथ एक झंडी वाले को पोस्ट करें।

(b) हाथ के संकेतों के साथ एक झंडी वाले को कार्यस्थल के पीछे 600 मीटर की दूरी पर पोस्ट करें वह ट्रैक के आर-पार एक बैनर फ्लेग लगाये।

(c) कार्यस्थल के पीछे 1200 मीटर की दूरी पर हाथ संकेत और पटाखों के साथ एक झंडीवाला पोस्ट करें। झंडीवाला लाइन पर 10 मीटर की दूरी पर तीन डेटोनेटर लगाएगा और नजदीक के डेटोनेटर से कम से कम 45 मीटर की दूरी पर खड़ा होगा, जहां से वह आने वाली ट्रेन का स्पष्ट दृश्य प्राप्त कर सकता है। वह स्टॉप हैंड सिग्नल दिखाएगा।

(d) बाधा स्थल पर मौजूद व्यक्ति चालक को ट्रेन के बाधा स्थल से पास होने के बाद इंगित करने के लिए आगे बढ़ने का संकेत देगा, हाथ से संकेत दिए जाने के बाद चालक सामान्य गति फिर से शुरू कर सकता है।





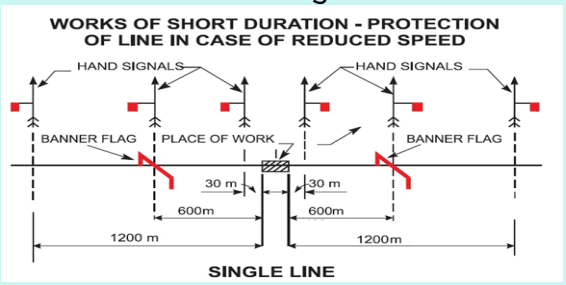
ii. जब ट्रेन ब्लॉक सेक्शन में प्रतिबंधित गति से कार्यस्थल से गुजर सकती है

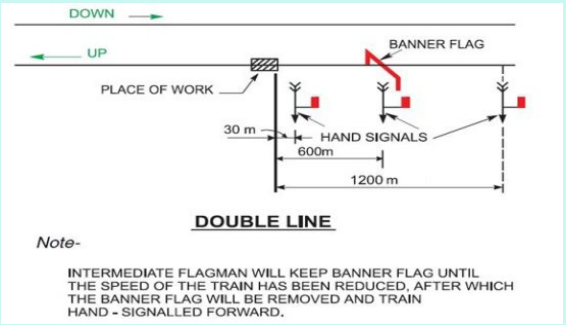
(a) बाधा स्थल से 30 मीटर की दूरी पर सावधानी हाथ संकेत को प्रदर्शित करने के लिए झंडी वाले को पोस्ट करें।

(b) बाधा स्थल से ब्रॉड गेज के लिए 600 मीटर की दूरी पर हाथ संकेतकों के साथ एक मध्यवर्ती झंडी वाला पोस्ट करें। वह ट्रैक के आर-पार एक बैनर फ्लैग भी लगाएगा। ट्रेन की गति कम होने तक मध्यवर्ती बैनर फ्लैग को लाइन के आर-पार रखा जाना चाहिए, जिसके बाद बैनर फ्लैग को हटा दिया जाएगा और ट्रेन को आगे जाने को हाथ संकेत कर दिया जाएगा।

(c) बाधा स्थल से ब्रॉड गेज के लिए 1200 मीटर की दूरी पर सावधानी हाथ संकेतक को प्रदर्शित करने के लिए झंडी वाले को पोस्ट करें।

(d) कार्य स्थल पर रेल कर्मचारी को चालक को ट्रेन के बाधा स्थल से पास होने के बाद इंगित करने के लिए आगे बढ़ने का संकेत देगा, हाथ से संकेत दिए जाने के बाद चालक सामान्य गति फिर से शुरू कर सकता है।





iii. जब ट्रेन को कार्य स्थल पर रुकना आवश्यक हो अथवा ट्रेन ब्लॉक सेक्शन में प्रतिबंधित

गति से कार्यस्थल से गुजर सकती है, दोनों ही मामलों में ट्रैक की सुरक्षा करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

(a) सिंगल लाइन पर, काम के दोनों तरफ लाइन को इसी प्रकार सुरक्षित किया जाना चाहिए।

(b) उन जगहों पर जहां वक्र या नीचे की तरफ ढाल हैं और खराब दृश्यता के समय प्रोटेक्शन की निर्धारित दूरी को उपयुक्त रूप से बढ़ाया जा सकता है और मध्यवर्ती झंडीवाला को हाथ संकेत रिले करने के लिए तैनात किया जा सकता है।

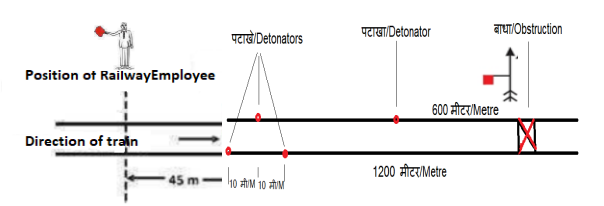
(c) बैनर फ्लैग, डेटोनेटर और हैंड सिगनल के स्थान का चयन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि जहां तक संभव हो, लगातार खड़ी चढ़ाई पर ट्रेनों के रुकने से बचा जा सके।

(d) यदि आपातस्थिति में रात में ऐसे कार्य करना आवश्यक हो जाता है, तो लाइन की सुरक्षा के प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि ट्रेनों के आने की दिशा में लाल हाथ झंडी और बैनर फ्लैग के स्थान पर लाल बत्ती को दिखाया जाना चाहिए।

(e) किसी आपातस्थिति में, जब सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो, जेई/एसएसई/पी.वे, या अधिकृत रेल कर्मचारी स्टेशन मास्टर को नोटिस जारी करने से पहले ऐसा काम शुरू कर सकते हैं, इसके लिए लाइन की सुरक्षा के बाद पहले ट्रेन को रोकेंगे और ट्रेन के लोको पायलट को रुकने की आवश्यकता के बारे में सूचित करेंगे, यदि काम लंबा होने की संभावना है, तो उसे जल्द से जल्द स्टेशन मास्टर को सूचित करना चाहिए।

II. आपातस्थिति में अस्थायी सिग्नल

i. जब भी किसी लाइन में रुकावट या किसी अन्य कारण से किसी रेल सेवक के लिए ट्रेन को रोकना आवश्यक हो तो वह मौके पर एक खतरे का संकेत लगाएगा और एक खतरे के संकेत के साथ आने वाली ट्रेन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। (दिन में लाल झंडी और रात में लाल बत्ती) बाधा से 600 मीटर की दूरी पर और एक डेटोनेटर को लाइन पर रखें जिसके बाद वह बाधा से कम से कम 1200 मीटर की दूरी पर आगे बढ़ेगा और लाइन पर तीन डेटोनेटर 10-10 मीटर की दूरी पर रखेगा। फिर उसे वहां से कम से कम 45 मीटर की दूरी पर खड़ा होना चाहिए, जहां से वह आने वाली ट्रेन को अच्छी तरह से देख सकता है और जब तक वापस न बुलाया जाय खतरे के संकेत को दिखाना जारी रखे। यदि उसे वापस बुला लिया जाता है, तो वह लाइन पर तीन डेटोनेटर छोड़ देगा और वापस आते समय मध्यवर्ती डेटोनेटर को उठाएगा साथ ही खतरे का संकेत लगातार दिखाते हुए वापस आएगा।



ii. सिंगल लाइन पर लाइन को बाधा के दोनों तरफ सुरक्षित किया जाना चाहिए।

iii. जहां समीपवर्ती लाइन हों और ऐसी लाइनों की सुरक्षा करना आवश्यक हो, वहां प्रत्येक ऐसी लाइन पर समान रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए।

हमारा उद्देश्य / OUR OBJECTIVE

To upgrade maintenance technologies and methodologies and achieve improvements in productivity and performance of all railway assets and manpower which inter alia would cover reliability, availability for use, utilisation and efficiency.

सत्यमेव जयते

भारत सरकार - GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय - MINISTRY OF RAILWAYS

(केवल कार्यालय उपयोग हेतु /For Official use only)

(An ISO: 9001-2015 Certified Organization)

मेट के कर्तव्य और दायित्व
Duties and Responsibilities of Mate



कैमटेक/सि/ 2021 /डीआरम/1.0
CAMTECH/C/2021/DRM/1.0
सितम्बर / September - 2021

अअमासं RDSO रेल अनुदूत Transforming Railways www.rdso.gov.in

An ISO 9001-2015 Certified Organization उच्च अनुरक्षण प्रौद्योगिकी केन्द्र Excellence In Maintenance

Indian Railways
Centre for Advanced Maintenance Technology

महाराजपुर, ग्वालियर - 475005
Maharajpur, Gwalior – 474005
Telephone : 0751-2470869, Fax : 0751-2470841
E-mail :dircivilcamtech@gmail.com

DISCLAIMER

The information contained in this pamphlet does not supersede any existing provisions laid down in RDSO & Railway Board instructions. This document is not statutory & instructions given in it are for the purpose of guidance only.